प्रेषक,

हरिश्चन्द्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0
सी-1, विक्रान्तखण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक: 22 जून, 2015

विषय वेतन समिति,2008 के नवम् प्रतिवेदन (भाग-1) में राजकीय विभागों के आशुलिपिक संवर्ग में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4314/एस0सी0डी0आर0सी0/अधि. 94/10, दिनांक 18 दिसम्बर, 2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग एवं जिला उपभोक्ता फोरमों के दिनांक 08.09.2010 के उपरांत सृजित आशुलिपिक संवर्ग के शेष 10 पदों के पुनर्गठन की अपेक्षा की गयी है।

2. इस सम्बन्ध में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 एवं जिला उपभोक्ता फोरमों हेतु दिनांक 08.09.2010 के पूर्व सृजित आशुलिपिक संवर्ग के 83 पदों का पुनर्गठन उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-70/सीपी 432/84-2-2014-सीपी 49/97, दिनांक 21 नवम्बर, 2014 द्वारा किया जा चुका है। उक्त के क्रम में, दिनांक 08.09.2010 के उपरांत राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 एवं जिला उपभोक्ता फोरमों के लिए सृजित आशुलिपिक संवर्ग के शेष 10 पदों, जिनका विवरण अनुलग्नक-1 में अंकित है, का पदनाम, वेतन बैण्ड, ग्रेड वेतन, पदों की संख्या एवं प्रक्रिया का निर्धारण, वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-2056/दस-54(एम)/2008 टीसी, दिनांक 08.09.2010 में दी गयी व्यवस्था के आलोक में अनुलग्नक-2 के अनुसार, करते हुए इस शासनादेश को जारी किये जाने के दिनांक से लागू किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. उपरोक्तानुसार किये गये विभाजन के उपरांत उच्चीकृत ग्रेड वेतन के पदों पर समायोजन आशुलिपिक संवर्ग के कुल 93 पदों में से ज्येष्ठता के आधार पर किया जायेगा।

4. उपर्युक्त संवर्गीय पुनर्गठन के फलस्वरूप उच्च ग्रेड वेतन के सापेक्ष समायोजित होने वाले पदधारकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के शासनादेश संख्या- वे0आ0-2-841/दस-2009-59(एम)/2008, दिनांक 24.12.2009 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

5. उक्त शासनादेश वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 की अशासकीय संख्या-वे0आ0-2-593/दस-2014, दिनांक 25.05.2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

हरिश्चन्द्र
अनु सचिव।

.....2.....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृष्ठांकन संख्या-15/2015/सीपी 1237(1)/84-2-2014-सीपी 49/97, तद्-दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3. महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
4. वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. समस्त जनपदीय कोषाधिकारी, उ0प्र0 (द्वारा निबन्धक, राज्य आयोग)।
7. समस्त जिला उपभोक्ता फोरम, उ0प्र0 (द्वारा निबन्धक, राज्य आयोग)।
8. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ।
9. वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-7/वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग 1/2, उ0प्र0 शासन।
10. उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन।
11. कार्मिक नियमावली सेल, उ0 प्र0 शासन।
12. मीडिया सलाहकार, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

हरिश्चन्द्र
अनु सचिव

शासनादेश संख्या-15/2015/सीपी 1237(1)/84-2-2014-सीपी 49/97 दिनांक 22.06.2015 का संलग्नक

अनुलग्नक-1

क्र.सं.	पदनाम	वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	पदों की संख्या	भर्ती/पदोन्नति का स्रोत
01	02	03	04	05
01	आशुलिपिक ग्रेड-2	रू0 5200-20200 ग्रेड वेतन 2400	10	सीधी भर्ती द्वारा
		कुल पदों की संख्या	10	

.....3.....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अनुलग्नक-2

क्र सं.	पदनाम	पुनरीक्षित वेतन संरचना में		पदों की संख्या	नियुक्ति/पदोन्नति का स्रोत
		वेतन बैण्ड	ग्रेड वेतन		
1	2	3	4	5	6
1	आशुलिपिक	रू0 5200-20,200	2800	5	सीधी भर्ती। भर्ती हेतु अनिवार्य शैक्षिक अर्हता- इण्टरमीडिएट के साथ हिन्दी आशुलिपि में निर्धारित गति 80 शब्द प्रति मिनट तथा टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट के साथ कम्प्यूटर से संबंधित ज्ञान (डी.ओ.ई.ए.सी.सी. सोसायटी द्वारा संचालित सी0सी0सी0 पाठ्यक्रम अथवा माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा संचालित कम्प्यूटर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना)
2	वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2	रू0 9300-34,800	4200	3	इन पदों को ज्येष्ठता के आधार पर न्यूनतम 08 वर्ष की संतोषजनक सेवा वाले आशुलिपिक पदधारकों से पदोन्नति कर भरा जाएगा।
3	वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1	रू0 9300-34,800	4600	2	इन पदों को ज्येष्ठता के आधार पर आशुलिपिक पद की सेवाओं को जोड़ते हुए न्यूनतम 15 वर्ष की संतोषजनक सेवा वाले ऐसे वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2 के पदधारकों, जिनके द्वारा इस रूप में न्यूनतम 05 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली गयी हो, से पदोन्नति कर भरा जाएगा।
			योग-	10	

हरिश्चन्द्र
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।